राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

कमांक प.1(1) चिस्वा/2/2020 जयपुर, दिनांक : 19.05.2020

–: आदेश :–

कोविड–19 की जॉच के लिये जा रहे सेम्पल का सम्पूर्ण डाटा सेम्पल लेने वाले कार्मिक द्वारा RTPCR APP पर सीधे ही अपलोड किये जाने हेतु पूर्व में निर्देश दिये जा चुके है। समीक्षा करने पर यह पाया गया कि अभी भी राज्य में काफी संख्या में सेम्पल्स लिये जाते समय उनका डाटा RTPCR APP पर अपलोड किये जाने के स्थान पर फिजिकल फार्म पर भरा जाकर लैब में भेजा जा रहा है। उपरोक्त डाटा को ICMR पोर्टल पर अपलोड करना होता है जिसमें काफी समय अनावश्यक व्यय होता है। डाटा की RTPCR Act एवं ICMR पोर्टल पर मोनिटरिंग किया जाना भी संभव नहीं हो पाता है।

इस कम में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है:–

1. समस्त प्राचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि मरीज से संबधित डाटा सेम्पल लेते समय ही RTPCR APP पर अपलोड किया जावे। किसी भी स्थिति में डाटा फिजिकल फार्म में नहीं लिया जावे।
2. RTPCR APP पर डाटा अपलोड करने के उपरांत प्रत्येक सेम्पल की एक Unique-ID generate होती है। उपरोक्त Unique-ID का अंकन संबंधित सेम्पल के VTM पर भी किया जावे।
3. सेम्पल के VTM पर मरीज का नाम एवं उपरोक्त Unique-ID का अंकन स्पष्ट हस्तलिपि से अंकित किया जावे, ताकि टेस्टिंग लैब में उपरोक्त यूनिक आईडी एवं नाम के आधार पर संबंधित सेम्पल के मरीज की आसानी से पहचान की जा सकते।
4. सेम्पल लेने के उपरांत उपरोक्त VTM box को संबंधित लैब में जॉच हेतु भेजा जाता है। उपरोक्त बॉक्स में भेजी जा रही VTM के बारे में मरीज का नाम, Unique-ID एवं मोबाईल नम्बर RTPCR APP पर अपलोड डाटा से प्रिन्ट कर बॉक्स के साथ भेजा जावे।

सभी सेम्पल लेने वाले कार्मिक को RTPCR APP यूज करने हेतु डाटा चार्ज एवं स्वंय के मोबाईल का उपयोग करने के एवज में रूपये 500/–प्रतिमाह प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में विस्तृत आदेश अलग से जारी किये जा रहे है।

उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण व्यवस्था एवं शत प्रतिशत अनुपालना सुनिश्चित करावें।

19/05/2020
(रोहित कुमार सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
4. जिला कलेक्टर (समस्त) राजस्थान।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जयपुर, राजस्थान।

7. प्राचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, (समस्त) राजस्थान।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, (समस्त) राजस्थान।
9. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, (समस्त) राजस्थान।
10. अन्य संबंधित

19/05/2020

अतिरिक्त मुख्य सचिव